

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वसमन्ट की संख्या	ऊंचाई
A	2	0	6.6 mt.
BLOCK 2	3	0	10.8 mt.
BLOCK 3	2	0	6.6 mt.

इ भवन का अधिभोग मसस **YASH VIDYA MANDIR** द्वारा किया जा रहा है इनक द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाए, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित कराया गया व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **29-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANJULA JHUNJHUNWALA** के साथ किया गया भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाए मानकों के अनुसार अधिस्थापित पाया गया अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ को अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तगत वधता तिथि **01-07-2024** से **01-07-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निगत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाए रखा जायगा भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पाये गये कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मसस **YASH VIDYA MANDIR** अधिभागों पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे निगत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जान पर निगत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायगा, जिसके लिए मसस **YASH VIDYA MANDIR** अधिभागों पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे

Note : This certificate is issued as per uploaded maps, on the basis of inspection report of FSO-PL, Issued as per conditions mentioned in U.P.F&ES Rules-2024 dated:18-January-2024, if violation found in the said conditions issued NOC stands cancel. All evacuation and fire-fighting system must be in working condition all the time and a trained fire safety supervisor should be assigned for these duties.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निगत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निगत प्रमाण-पत्र शून्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निगमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Mahender Pratap Singh)

[D8888267BE98C153C68C379B49DCCBA20EED9704]

01-07-2024

निगत दिनांक : 01-07-2024

स्थान : FAIZABAD



For Jingle Bell Nursery School Society

Manjula Jhunjhwal
Manjula Jhunjhwal
Director

प्रारूप-छ (सलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पणता (कम्प्लोशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

प्राईडो संख्या: UPFS/2024/122750/FZB/FAIZABAD/1233/CFO

दिनांक: 27-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मसस **YASH VIDYA MANDIR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **KHASRA NO 10 PLOT NO 21,RAMPURHALVARA DARSHANNAGAR SARETHI,AYODHYA** तहसील - **SADAR**, प्लाट एरिया **5170 sq.mt**,

कल नंबर एरिया **3574.1** (चग मॉडर), ब्लॉकों की संख्या - **3** जिले

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसपन्ट की संख्या	ऊंचाई
A	2	0	6.6 mt.
BLOCK 2	3	0	10.8 mt.
BLOCK 3	2	0	6.6 mt.

इ भवन को अधिभोग मसस **YASH VIDYA MANDIR** द्वारा किया जा रहा है इनके द्वारा भवन में अग्नि नियंत्रण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओसीओ एवं तससद्वारा भारतीय मानक व्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित कराये गये व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **29-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANJULA JHUNJHUNWALA** के साथ किया गया भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं नतीकों के अनुसार अधिस्थापित पाये गये। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसीओ को अधिभोग शर्तों **Educational** के अन्तर्गत ताकत तिथि **01-07-2024** से **01-07-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निगत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अन्तर्क्षण करत हुए क्रियाशील बनाये रखा जायगा भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पाये गये कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मसस **YASH VIDYA MANDIR** की ज़िम्मेदारी पण रूप में जिम्मेदार होगा/होगी निगत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण विधायित समयवर्षों के अन्दर न कराया जात पर निगत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र रद्द हो निरस्त मान लिया जायगा, किस्के लिए मसस **YASH VIDYA MANDIR** अधिभोगी पण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी

Note : This certificate is issued as per uploaded maps, on the basis of inspection report of FSO-PL, Issued as per conditions mentioned in U.P.F&ES Rules-2024 dated:18-January-2024. If violation found in the said conditions issued NOC stands cancel. All evacuation and fire-fighting system must be in working condition all the time and a trained fire safety supervisor should be assigned for these duties.

"यह प्रमाण-पत्र आपक द्वारा प्रस्तुत अग्लिखों, सचताओं के आधार पर निगत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जात पर निगत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निगमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(Mahender Pratap Singh)

[068882678E98C153C68C379B49DCCBA20EED9704]

01-07-2024

निगत पत्र कात का दिनांक : 01-07-2024

स्थान : FAIZABAD



For Jungle Bell Nursery School Society

Manjula Jhunjhunwala
Manjula Jhunjhunwala
Director